भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या : *142

जिसका उत्तर 30 जुलाई, 2025 को दिया जाना है

कोयला खान अपशिष्ट का पाटन

***142. श्री प्रद्युत बोरदोलोई:**

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नॉर्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स कोल इंडिया लिमिटेड (एनईसी सीआईएल) द्वारा लेडो के टिकाक कोलियरी क्षेत्र में कोयला खनन अपशिष्ट के पाटन तथा अपशिष्ट पाटन ग्राउंड के लिए प्रयुक्त भूमि और वहां फेंके गए अपशिष्ट की मात्रा और इससे प्रभावित परिवारों की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) की तिनसुकिया जिले में किन्हीं नए कोयला पाटन स्थलों का निर्माण करने की योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एनईसी सीआईएल के शिकायत और निवारण प्रकोष्ठ को लेडो में पाटन स्थलों के विस्तार के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कोल इंडिया लिमिटेड ने लेडो स्थित अपनी खानों से कोयले के पाटन के प्रभाव का आकलन करने के लिए सर्वेक्षण कराया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) इस क्षेत्र के पर्यावरण पर मौजूदा और प्रस्तावित कोयला पाटन स्थलों के पड़ने वाले प्रभाव को रोकने के लिए किए गए शमन उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कोयला एवं खान मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) से (ड.) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

"कोयला खान अपशिष्ट का पाटन" के संबंध में श्री प्रद्युत बोरदोलोई, माननीय संसद सदस्य द्वारा दिनांक 30.07.2025 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *142 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) : टिकाक एक्सटेंशन ओपनकास्ट (ओसी) नॉर्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स (एनईसी) की एकमात्र प्रचालनरत खान है और खनन कार्य पर्यावरणीय कानूनों सहित लागू अधिनियमों, नियमों और विनियमों के अनुसार व्यवस्थित और वैज्ञानिक रूप से किया जाता है।

यह सूचित करना महत्वपूर्ण है कि डंपिंग स्थल की अनुपलब्धता के कारण टिकाक एक्सटेंशन ओसी का खनन कार्य दिनांक 01.06.2025 से पूर्ण रूप से रोक दिया गया है। इस मामले से राज्य सरकार को अवगत करा दिया गया है।

टिकाक एक्सटेंशन ओसीपी के ओवरबर्डन डंप की भूमि कोल इंडिया लिमिटेड की है। टिकाक एक्सटेंशन ओसीपी के ओवरबर्डन डंपिंग हेतु भूमि के लिए एनईसी ने तिनसुकिया ज़िला प्रशासन से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है।

परियोजना रिपोर्ट के अनुसार, टिकाक एक्सटेंशन ओसीपी के ओवरबर्डन डंपिंग ग्राउंड द्वारा कवर किया गया क्षेत्र लगभग 51.91 हेक्टेयर है। आज की तारीख तक निर्दिष्ट डंप में डाले गए ओवरबर्डन/कोयला खनन अपशिष्ट की कुल मात्रा लगभग 8 मिलियन घन मीटर है।

लगभग 292 परिवारों ने टिकाक एक्सटेंशन ओसीपी के निर्दिष्ट ओवरबर्डन डंपिंग ग्राउंड पर अतिक्रमण कर लिया है। कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (आरएफसीटी एवं एलएआरआर अधिनियम, 2013) के तहत आवश्यक पुनर्वास अथवा पुनर्स्थापन लाभ/राहत प्रदान करने के लिए अतिक्रमण करने वालों या गैर-कानूनी स्वामित्व धारकों को 'प्रभावित परिवार' के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है।

(ख) : कोल इंडिया लिमिटेड की तिनसुकिया जिले में कोई नया कोयला डंपिंग ग्राउंड बनाने की कोई योजना नहीं है।

(ग) : एनईसी/सीआईएल को शिकायत एवं निवारण प्रकोष्ठ के अंतर्गत कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। हालाँकि, टिकाक एक्सटेंशन ओसीपी के ओवरबर्डन डंपिंग मुद्दे के संबंध में, एनईसी/सीआईएल को निम्नलिखित से नोटिस/आदेश प्राप्त हुए हैं:

1. माननीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, दिनांक 07.11.2024
2. माननीय असम मानवाधिकार आयोग, दिनांक 17.01.2025
3. माननीय राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, दिनांक 28.01.2025

एनईसी ने उपर्युक्त माननीय आयोगों को उचित उत्तर प्रस्तुत कर दिए हैं।

(घ) : पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एंड सीसी) से पर्यावरणीय स्वीकृति मिलने के बाद टिकाक एक्सटेंशन ओसीपी में खनन गतिविधियां शुरू की गईं थी, जिसके लिए पर्यावरणीय स्वीकृति के दौरान एक पर्यावरणीय प्रभाव आकलन और पर्यावरण प्रबंधन योजना रिपोर्ट तैयार की गई और एमओईएफसीसी को प्रस्तुत की गई थी।

(ड.) : कोयला डंपिंग ग्राउंड के पर्यावरणीय प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए कार्यान्वित किए गए शमन उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

1. टिकाक एक्सटेंशन ओपन कास्ट परियोजना से उत्पन्न बहिस्राव को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जैसे विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा अधिसूचित डिस्चार्ज मानकों के अनुरूप शोधित किया गया है। यह रिपोर्ट राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, असम और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत की जाती है।

2. टिकाक एक्सटेंशन ओसी का ओबी डंप, ढलान की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए किए गए वैज्ञानिक अध्ययनों के आधार पर, वैज्ञानिक रूप से तैयार किया गया है। ओबी डंपिंग, परियोजना रिपोर्ट में दिए गए डंपिंग शेड्यूल के अनुसार की जाती है और ओवरबर्डन को बहने से रोकने के लिए डंप के चारों ओर रिटेनिंग टो वॉल का निर्माण किया जाता है और डंपिंग जारी रहने के साथ-साथ यह चालू रहेगा।

3. एनईसी/सीआईएल द्वारा खान की पर्यावरणीय गुणवत्ता और स्थिति का थर्ड पार्टी मूल्यांकन तथा समीपवर्ती नदियों में मछलियों की प्रजातियों की निगरानी प्रतिष्ठित इंस्टिट्यूट ऑफ एक्सीलेंस द्वारा की जाती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य को कोई नुकसान न हो।

****